529

[2019] 2 एस. सी. आर. 529

ए.

मूर्ति भवानी माता मंदर प्रतिनिधि। थ्रू पुजारी गणेशी लाल (डी) थ्रू एलआर। कैलाच बनाम.

रमेश और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 880) 21 जनवरी, 2019

बी.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -s.144-जब आकर्षित नहीं किया जाता है-प्रत्यर्थी संख्या को रोकने के लिए एक 'GL' द्वारा स्थापित स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सूट।1, 2 और एक 'जी' विवादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से-मुकदमा निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया-इसके खिलाफ अपील खारिज कर दी गई-'जी' ने आवेदन यू/एस दायर किया।144, विवादित भूमि के कब्जे की बहाली के लिए सी. पी. सी. अन्य बातों के साथ-साथ-निष्पादन अदालत द्वारा खारिज आवेदन-प्रत्यर्थी नं.1 – मामला निष्पादन अदालत में वापस भेज दिया गया-उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर दूसरी अपील, जिसे खारिज कर दिया गया था-अपीलार्थी की याचिका कि वादी को किसी डिक्री या आदेश के तहत अदालत द्वारा कब्जे में नहीं रखा गया था, जिसे अंततः स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे को खारिज करने पर उलट दिया गया था और इसलिए,s.144 आकर्षित नहीं था-आयोजितःs.144 ऐसी स्थिति पर लागू होता है जहां एक डिक्री या आदेश अपील, संशोधन या किसी अन्य कार्यवाही में परिवर्तित या उलट हो जाता है या इस उद्देश्य के लिए स्थापित किसी मुकदमे में अलग या संशोधित किया जाता है-वर्तमान मामले में, निचली अदालत के अंतरिम आदेश में प्रत्यर्थी को वादी को कब्जा सौंपने की आवश्यकता नहीं थी-निचली अदालत का कोई डिक्री या आदेश नहीं था जिसके आधार पर अपीलार्थी को संपत्ति का कब्जा दिया गया था, न ही कोई डिक्री या आदेश अनिवार्य था कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी को कब्जा सौंप दे-इन परिस्थितियों में, एस के प्रावधान।144 एस द्वारा विचार किए जाने के अनुसार, किसी डिक्री या आदेश में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया था।144 – निष्पादन न्यायालय द्वारा आवेदन यू/एस पर विचार करने से इनकार करना उचित था।144 – उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

भवानी माता मंदिर में स्थित देवता के अगले सबसे अच्छे मित्र के रूप में दावा करने वाले एक 'जी. एल.' द्वारा प्रत्यर्थी संख्या के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था।1, 2 और एक 'जी'।निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया था।इसके खिलाफ दायर याचिकाएं थीं -

एच.

529 ए.

530 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 2 एस. सी. आर.

बर्खास्त कर दिया।'जी 'ने आवेदन यू/एस दायर किया।144, सी. पी. सी. अन्य बातों के साथ-साथ विवादित भूमि के कब्जे की बहाली के लिए।आवेदन को निष्पादन अदालत ने खारिज कर दिया था।प्रत्यर्थी नं.1 अपील दायर की गई, जिसकी अनुमति दी गई और मामले को निष्पादन अदालत में वापस भेज दिया गया।अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।इसलिए, वर्तमान अपील।अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

बी.

पकड़नाः1.1 धारा 144, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एक ऐसी स्थिति पर लागू होती है जहां एक डिक्री या एक आदेश अपील, संशोधन या किसी अन्य कार्यवाही में भिन्न या उलट है या इस उद्देश्य के लिए स्थापित किसी भी मुकदमे में अलग या संशोधित किया जाता है।उस स्थिति में, जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है, वह हकदार किसी भी पक्ष के आवेदन पर क्षतिपूर्ति का कारण बन सकता है, ताकि पक्षकारों को उस स्थिति में रखा जा सके जिस पर वे कब्जा कर लेते, लेकिन डिक्री या आदेश या उसके ऐसे हिस्से के लिए जो परिवर्तित, उलट, अलग या संशोधित किया गया है। अदालत को ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार है जो डिक्री या आदेश के परिवर्तित या उलट होने के परिणामस्वरूप प्रकृति के हों।वर्तमान मामले में, निचली अदालत के अंतरिम आदेश में प्रतिवादी को वादी को कब्जा सौंपने की आवश्यकता नहीं थी।निचली अदालत की कोई डिक्री या आदेश नहीं था जिसके आधार पर अपीलार्थी को संपत्ति का कब्जा दिया गया था, और न ही कोई डिक्री या आदेश यह अनिवार्य करता था कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी को कब्जा सौंप दे।[पैरा 10,11] [533-एफ-एच; 534-ए]

सी.

डी.

ई.

1.2 इन परिस्थितियों में, धारा 144, सी. पी. सी. के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया था क्योंकि धारा 144 द्वारा विचार किए गए डिक्री या आदेश में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया था।निष्पादन अदालत ने धारा 144, सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। पहली अपीलीय अदालत का आदेश जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, अस्थिर था।उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।[पारस 12,13] [534-बी-सी]

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 880

जी.

2019.

2002 के एस. ए. सं. 407 में एम. पी. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

आलोक भचावत, के. वी. भारती उपाध्याय, सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

एच.

531

मूर्ति भवानी माता मंदर प्रतिनिधि। टीएचआर। पुजारी गणेशी लाल (डी) टीएचआर। एल. आर. कैलाच बनाम रमेश

ए.

हर्षवर्धन झा, श्रीमती युगांधरा पवार झा, सुश्री मयूरी शुक्ला, अभिषेक चौधरी, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1.अनुमति प्रदान की गई।

बी.

2. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर स्थित पीठ के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से उत्पन्न होती है।सिविल जज, क्लास II, सरदारपुर, जिला न्यायालय में

एक मुकदमा 1 दायर किया गया था।धार (एम. पी.) एक गणेशी लाल द्वारा भवानी माता मंदिर, ग्राम दसाई, तहसील सरदारपुर में स्थित आहार के अगले मित्र के रूप में दावा किया गया।यह मुकदमा गीताबाई (मृतक होने के कारण) और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था, जिसमें उन्हें विवाद में कृषि भूमि पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया था।

सी.

3. निष्कर्ष के लिए मुकदमे में जो मुद्दे बनाए गए थे, वे इस प्रकार थेः

“एस. एल. नहीं। आई एस एस यू ई एस

निष्कर्ष

डी.

1. क्या गांव दसाई में स्थित मूर्ति भवानी माता मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि धारक सर्वेक्षण संख्या 1630,1631 और 1632 पर वादी का कब्जा श्रीचंद के बेटे दुलीचंद के माध्यम से लगातार आ रहा है?

नहीं।

ई.

2(क) क्या वादी भवानी माता मंदिर का पुजारी है?

2(ख) यदि वादी पुजारी है, तो किस हैसियत से?

फैसले नहीं

?

जरूरी है

नहीं।

3. क्या 14.6.77 पर प्रतिवादियों ने सूट भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया और फसल को नष्ट कर दिया।

एफ.

4. क्या ओंकारलाल के पति थे

निर्णय की आवश्यकता नहीं है

प्रतिवादी नं. 1 अर्थात मूर्ति भवानी माता मंदिर के पुजारी?

5. चाहे ओंकारलाल सूट लैंड के बाद

निर्णय की आवश्यकता नहीं है

जी.

प्रतिवादी नं. के कब्जे में रहा। 1 पुजारी की क्षमता में?

6. राहत और लागत?

मुकदमा लागत के साथ खारिज कर दिया गया "

एच.

1 मुकदमा सं. 60/ए/77

ए.

4. 11 अप्रैल 1981 को निचली अदालत ने इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया था कि वादी विवादित भूमि पर कब्जा साबित करने में विफल रहा था।पहली अपील के साथ-साथ दूसरी अपील दोनों को 23 मार्च 1982 को जिला न्यायाधीश और 5 मई 1984 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. दूसरी अपील के निपटारे के बाद, गीताबाई ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सी. पी. सी".) की धारा 144 के तहत विवादित भूमि के कब्जे की बहाली और अतिरिक्त लाभ देने के लिए न्यायाधीश, सिविल कोर्ट, क्लास I, सरदारपुर 2 के समक्ष एक आवेदन दायर किया। 6.24 अगस्त 1998 को निष्पादन अदालत द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया था।प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया और मामले को निष्पादन अदालत में वापस भेज दिया गया।अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की जिसे 3 दिसंबर 2004 के विवादित आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ था।7. उच्च न्यायालय के फैसले पर जोर देते हुए, अपीलकर्ता प्रस्तुत करता है कि सी. पी. सी. की धारा 144 के प्रावधान आकर्षित नहीं थे।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से यह आग्रह किया गया था कि कार्यवाही को निष्पादन अदालत में वापस भेजना उचित नहीं था।अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वादी को किसी भी डिक्री या आदेश के तहत अदालत द्वारा कब्जे में नहीं रखा गया था, जिसे अंततः स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे को खारिज करने पर उलट दिया गया था।इन परिस्थितियों में धारा 144 लागू नहीं की गई थी।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 144 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

बी.

सी.

डी.

ई.

((i) पुनर्स्थापना की मांग उस डिक्री या आदेश के संबंध में होनी चाहिए जिसे परिवर्तित या उलट दिया गया हो।

एफ.

((ii) आवेदन करने वाला पक्ष पुनर्स्थापन के लाभ का हकदार होना चाहिए; (iii) जो राहत का दावा किया जाता है वह डिक्री या आदेश के उलटने या परिवर्तन के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

जी.

8. तत्काल मामले में, यह आग्रह किया गया है कि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई थी। इसके अलावा, भले ही यह माना जाए कि वादी ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया था, यह आग्रह किया गया था कि धारा 144 के तहत एक आवेदन झूठ नहीं होगा।इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि निचली अदालत ने सवाल का फैसला नहीं किया

2 1986 ए का एम. जे. सी. सं. 21

एच.

533

मूर्ति भवानी माता मंदर प्रतिनिधि। टीएचआर। पुजारी गणेशी लाल (डी) टीएचआर। एल. आर. कैलाश बनाम रमेश [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

इस बारे में कि क्या प्रत्यर्थी विवादित भूमि के कब्जे में था, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि मुद्दा संख्या 5 पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था।दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रथम प्रत्यर्थी का मामला था कि अपीलार्थी ने अंतर्वर्ती स्तर पर निषेधाज्ञा के आदेश के पारित होने के बाद वाद भूमि का कब्जा ले लिया था।इसलिए, यह आग्रह किया गया कि एक बार निषेधाज्ञा का मुकदमा खारिज हो जाने के बाद, प्रतिवादी के लिए धारा 144, सी. पी. सी. के तहत क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करने की छूट है।

बी.

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करने में, सी. पी. सी. की धारा 144 के प्रावधान का विज्ञापन करना आवश्यक होगाः

सी.

"144. पुनर्स्थापन के लिए आवेदन-(1) जहां और जहां तक किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में किसी डिक्री या आदेश में परिवर्तन या उलट किया जाता है या उस उद्देश्य के लिए शुरू किए गए किसी मुकदमे में अलग या संशोधित किया जाता है, तो डिक्री या आदेश पारित करने वाला न्यायालय, पुनर्स्थापन के माध्यम से या अन्यथा किसी भी लाभ के हकदार किसी भी पक्ष के आवेदन पर, पक्षकारों को उस स्थिति में, जिस पर वे कब्जा कर लेते, लेकिन ऐसी डिक्री या आदेश या उसके ऐसे हिस्से के लिए, जो भिन्न, उलट, अलग या संशोधित किया गया है, स्थापित करेगा और इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय कोई भी आदेश दे सकता है, जिसमें लागत की वापसी और ब्याज, क्षति, क्षतिपूर्ति और अन्य लाभों के भुगतान के आदेश शामिल हैं।"

डी.

ई.

10. धारा 144 एक ऐसी स्थिति पर लागू होती है जहां एक डिक्री या एक आदेश अपील, संशोधन या किसी अन्य कार्यवाही में भिन्न या उलट है या उद्देश्य के लिए स्थापित किसी भी मुकदमे में अलग या संशोधित किया जाता है।उस स्थिति में, जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है, वह हकदार किसी भी पक्ष के आवेदन पर क्षतिपूर्ति का कारण बन सकता है, ताकि पक्षकारों को उस स्थिति में रखा जा सके जिस पर वे कब्जा कर लेते, लेकिन डिक्री या आदेश या उसके ऐसे हिस्से के लिए जो परिवर्तित, उलट, अलग या संशोधित किया गया है। अदालत को ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार है जो डिक्री या आदेश के परिवर्तित या उलट होने के परिणामस्वरूप प्रकृति के हों।

एफ.

जी.

11. वर्तमान मामले में, निचली अदालत के अंतरिम आदेश में प्रतिवादी को वादी को कब्जा सौंपने की आवश्यकता नहीं थी।वहाँ

एच.

विचारण न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश नहीं था जिसके आधार पर अपीलार्थी को संपत्ति का कब्जा दिया गया था, और न ही कोई डिक्री या आदेश यह अनिवार्य करता था कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी को कब्जा सौंप दे।

12. इन परिस्थितियों में, धारा 144, सी. पी. सी. के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया था क्योंकि धारा 144 द्वारा विचार किए गए डिक्री या आदेश में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया था।

बी.

13. प्रथम प्रत्यर्थी का उपचार, यदि कोई हो, धारा 144, सी. पी. सी. के तहत निष्पादन अदालत के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन में निहित नहीं था। निष्पादन अदालत ने धारा 144, सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया।

सी.

14. पहली अपीलीय अदालत का आदेश जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, अस्थिर था।

15. तदनुसार, हम अपील को स्वीकार करते हैं और 3 दिसंबर 2004 के उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर देते हैं।प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादन न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन खारिज हो जाएगा।कोई लागत नहीं।16. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.